

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 1103
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए उठाए गए कदम

1103 श्री राघव चड्ढा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार पंजाब में, विशेष रूप से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संदर्भ में, विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए क्या कदम उठा रही है;
- (ख) क्या पंजाब में विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए कोई समर्पित वित्तीय योजना लागू की गई है;
- (ग) पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार राज्य के साथ किस प्रकार सहयोग कर रही है;
- (घ) पंजाब के विरासत स्थलों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सी पहलों को शुरू किया जा रहा है; और
- (ङ) सरकार स्थानीय समुदायों को विरासत पर्यटन के विकास में शामिल करने की किस प्रकार योजना बना रही है ताकि विरासत पर्यटन का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): विरासत पर्यटन सहित पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से पंजाब में विरासत पर्यटन सहित देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन करते हुए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करता है।

मंत्रालय संवर्धनात्मक कार्यक्रमों, मेलों और उत्सवों के आयोजन के लिए राज्यों सरकारों हितधारकों को सहायता में भागीदारी प्रदर्शनियों, वेबसाइट और सोशल मीडिया सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से पंजाब में विरासत पर्यटन सहित देश के विभिन्न पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करता है।

पर्यटन मंत्रालय, 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' नामक योजनाओं के अंतर्गत पंजाब सहित देश में विभिन्न पर्यटन गंतव्यों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2018-19 में, स्वदेश दर्शन योजना की विरासत परिपथ थीम के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय ने 85.32 करोड़ रुपए की लागत से 'आनंदपुर साहिब-फतेहगढ़ साहिब-चमकौर साहिब-फिरोजपुर-खटकर कलां-कलानौर-पटियाला का विकास' नामक एक परियोजना स्वीकृत की थी।

पर्यटन मंत्रालय ने गंतव्य और पर्यटक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदारीयुक्त पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के नाम से नया रूप दिया है।

पंजाब राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

'पूँजी निवेश के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास' योजना के तहत, भारत सरकार ने हाल ही में 53.45 करोड़ रुपये की लागत की 'एसबीएस नगर के खटकर कलां में शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में हेरिटेज स्ट्रीट का विकास' नामक परियोजना को मंजूरी दी है।

स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत 'घुनौती आधारित गंतव्य विकास' नामक एक उप-योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने संस्कृति एवं विरासत श्रेणी के अंतर्गत विकास के लिए फिरोजपुर (हुसैनीवाला बॉर्डर) को चिह्नित किया है।

पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों को निर्धारित प्रावधानों की पूर्ति और धन की उपलब्धता के अध्यधीन परियोजनाओं का रूप दिया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को स्थायी पर्यटन के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा गंतव्यों के विकास के लिए परियोजनाओं की तैयारी के दौरान स्थानीय समुदायों के साथ उचित परामर्श करने हेतु भी प्रोत्साहित करता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पंजाब में विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए कोई समर्पित निधि योजना नहीं है। हालाँकि, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में स्थित विरासत स्मारकों के व्यापक वैज्ञानिक संरक्षण परियोजनाओं के लिए एक संचयी निधि प्रति वर्ष आवंटित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में स्थित विरासत स्मारकों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए आवंटित निधि और किए गए व्यय का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-1

श्री राघव चड्ढा द्वारा विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए उठाए गए कदम के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा लिखित प्रश्न संख्या 1103 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में **विवरण**

पंजाब राज्य के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं:

क्र. सं.	परिपथ	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)
1	विरासत परिपथ	2018-19	आनंदपुर साहिब - फतेहगढ़ साहिब - चमकौर साहिब - फिरोजपुर - खटकर कलां - कलानौर - पटियाला का विकास	85.32

पंजाब राज्य के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं:

क्र.सं.	गंतव्य	एक्सपीरियंस का नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रु में)	स्वीकृति की तिथि
1	कपूरथला	कांजली वेटलैंड में इको टूरिज्म एक्सपीरियंस	20.06	05-03-2024
2	अमृतसर	अटारी में सीमा पर्यटन एक्सपीरियंस	25.90	20-08-2024

पंजाब राज्य के लिए प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)
1	अमृतसर में करुणा सागर वाल्मीकि स्थल का विकास	2015-16	6.40
2	चमकौर साहिब का विकास	2021-22	31.57

अनुबंध-II

श्री राघव चड्ढा द्वारा विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए उठाए गए कदम के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा लिखित प्रश्न संख्या 1103 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में **विवरण**

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में विरासत स्थलों के वैज्ञानिक संरक्षण कार्यों के लिए आवंटित निधियों और किए गए व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष	पंजाब में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के एसीपी का नाम	बजट आवंटन (रु. में)	व्यय (रु. में)
2021-22	शमशेर खान मकबरा, बटाला, जिला: गुरदासपुर के बाहरी हिस्से का वैज्ञानिक उपचार और संरक्षण	12,44,900	12,44,700.50
2022-23	शमशेर खान मकबरा, बटाला, जिला: गुरदासपुर के बाहरी हिस्से का वैज्ञानिक उपचार और संरक्षण	14,500	14,499
	बारादरी (अनारकली), बटाला, जिला गुरदासपुर के बाहरी हिस्से का वैज्ञानिक उपचार और संरक्षण	10,02,760	10,02,759
2023-24	मोहम्मद मोमिन मकबरा, जिला-जालंधर की गुंबद, छोटे कोपुला और आसपास की पैरापेट दीवार, नकोदर के बाहरी हिस्से में वैज्ञानिक उपचार और संरक्षण	8,00,000	7,76,330
